

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद कं.-113ए/2014
प्रस्तुति दिनांक-16.12.2014

- 1-मोहपाल सिंह पिता स्व. माथुसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2-रूपलाल पिता स्व. माथुसिंह, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3-सोनेलाल पिता स्व. माथुसिंह, उम्र 26 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 4-धूपलाल पिता स्व. माथुसिंह, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 5-बत्तीबाई पति स्व. माथुसिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----वादीगण

बनाम

- 1-मंतुरा जौजे गुहदड़, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2-तहसीलदार बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

-----प्रतिवादीगण

आदेश

दिनांक-19/02/2015 को पारित

- 1- इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 2) का साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं।
- 3- वादीगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि मौजा बरवाही, प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला

बालाघाट स्थित खसरा नंबर 62/01, रकबा 1.550 हेक्टेअर भूमि है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 ने एक एकड़ भूमि का विक्रय होने के आधार पर नामांतरण आवेदन तहसीलदार बैहर के समक्ष पेश किया, जिसमें प्रस्तुत विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि से वादीगण को उक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 03.06.87 का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। उक्त फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही पेश की है। अतएव फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर की जाने वाली नामांतरण कार्यवाही रोकने हेतु वाद के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4- प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने उक्त आवेदन पत्र का लिखित जवाब न देकर मौखिक विरोध पेश कर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5- प्रतिवादी क्रमांक 3 प्रकरण में एकपक्षीय है।

6- **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है?

2- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?

3- क्या वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें अपूर्ण क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7- वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में शपथकर्ता चंदूलाल, सहरू, सुखचंद, खेलनसिंह, फूलसिंह एवं समरलाल के शपथपत्र पेश किये हैं, जिन्होंने यह कथन किये हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 मंतुराबाई ने फर्जी विक्रयपत्र निष्पादित कराया है। इसके अलावा वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 03.06.87 की प्रतिलिपि भी पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज एवं शपथपत्र पेश नहीं किये गए हैं।

8- वादीगण के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेज के के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादीगण के द्वारा विवादित भूमि में से एक एकड़ भूमि का पंजीयन विक्रयपत्र निष्पादित किया है। यद्यपि उक्त विक्रय पत्र कथित रूप से फर्जी होने के संबंध में प्रकरण में साक्ष्य उपरान्त गुण-दोषों पर निराकरण किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर

विवादित भूमि के एक एकड़ भूमि पर प्रथमदृष्टया स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है। इस कारण उसके द्वारा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर की जाने वाली नामांतरण कार्यवाही के संबंध में इस स्तर पर रोक लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में वादीगण का मामला प्रथमदृष्टया उनके पक्ष में नहीं बनता है।

9— प्रकरण में वादीगण ने नामांतरण कार्यवाही के दस्तावेज भी पेश नहीं किये हैं और न ही उक्त कार्यवाही लंबित होने के संबंध में कोई शपथपत्र पेश है। ऐसी दशा में तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा नामांतरण कार्यवाही की जा रही है, तब उक्त वैधानिक कार्यवाही को रोकने से वादीगण की अपेक्षा प्रतिवादीगण को असुविधा होना प्रकट होती है। साथ ही वादीगण को उक्त स्थिति में कोई ऐसी अपूर्णीय क्षति होना प्रकट नहीं होती है, जिसकी भरपाई वह धन के रूप में नहीं कर सके। इस प्रकार तीनों विचारणीय बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं पाए जाते।

10— उपरोक्त सभी कारणों से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 2) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर